

4
25.11.20

सेवा में,
अंयम-आधिकारी
राजमहल।

द्वारा :- अंयम-निरीक्षक राजमहल।

विषय :- मपीवाड संलग्न 03/2020 में अग्रिम आवेदन के सम्बन्ध-में जमान प्रतिवेदन का प्रेषण।

महोदय;

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि मपी वाड सं 03/2020-21 में विपक्षी अग्रिम में डल हुए दिवस गण आवेदन में वणि विन्दुओं का स्पष्ट जमान। स्पष्ट जमान के बाद मैं बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच सन् 1720 में 12 फ़ीट रास्ता को लेकर बहुत दिनों से विवाद चल रहा था जो स्पष्ट जमान के बाद मैं अग्रिम-वक्ता के जमानों से पूछताछ करके यह बताया गया कि 60 वर्षों से अधिक समय से इन रास्तों का स्तम्भाल किम जा रहा है। वस्तुतः अग्रिम में विपक्षी अग्रिम रास्तों को लेकर आपने कृपया मैंसे सहायता कर रहा है। उपरोक्त वणि जमान पर जमान व्यापक सिविल जज, सिविल डिस्ट्रिक्ट-1 के मुद्दा मुकदमा नं 63/2019 के अग्रिम में लम्बित रहने के बाद 2019 विपक्षी अग्रिम में डल ने जोर जमान की 12 फ़ीट रास्तों पर अग्रिम का विपक्षी कृपया विचार। उपरोक्त वणि जमान का राजम अग्रिम से मिला किम जमान

मिाली निम्नवत् है -
जमान का अग्रिम

मोजा	शुल्क	खुदा	लोक	खुदा	विस्त	अतिमाली जमान का
कुल	27	32	1720	02-06-00	अग्रिम	वायु में डल दिना- पिता अग्रिम में डल सं अंयम।

पंजी II का अग्रिम

मोजा	शुल्क	जमान	खुदा	खुदा	जमान की जमान का अग्रिम
कुल	27	32	1720	00-07-16	वायु में डल पिता नारायण में डल देनी बललिखार में डल लीने व पति सुदेव में डल लीने व लख

मुंबई उपरोक्त बचतबंदी की विवक्षित है
 ये पत्र, पत्रा है कि उपरोक्त बचतबंदी
 इसी एवं इसी उपरोक्त बचतबंदी
 1720 रकम 00-00-12 1/2 दि. 40- अक्टूबर न्यायालय
 में बचतबंदी है। अतः न्यायालय से decision होने
 के बाद ही मापी की बचतबंदी या विचार किया
 जा सकता है।

आज प्रतिबंध भंगीक के लिए प्रस्ताव
 समाप्त।

सहायक

विभागाध्यक्ष

राजस्व उप-निरीक्षक के कार्यालय का
 आवलोकन किमी नरसिंहराव हाउस - 1720
 में 12 फीट रास्ता है। लेख अग्रिम में
 के बीच वृद्धि दिनों के विचार पत्रा आरक्षण
 कार्यवाही के अंतर्गत के अंतर्गत (सं 00-00-12 1/2 दि. 40-
 अक्टूबर न्यायालय से प्राप्त के 'Official Secy'
 No-63/2019 के बीच अग्रिम के बीच चर्चा
 रखा है। अतः कृपया अग्रिम अंतर्गत न्यायालय, राजस्व
 विभाग अथवा विभाग डिविजन-I के महासूचक सं
 सं-63/2019 के अंतर्गत के अंतर्गत है वास्तु
 विधायी अंतर्गत के अंतर्गत अंतर्गत 12 फीट रास्ता
 पर अंतर्गत के अंतर्गत के अंतर्गत


26/11/2020

सं
 26/11/2020

अतः अंतर्गत न्यायालय के अंतर्गत अंतर्गत
 अंतर्गत के अंतर्गत के अंतर्गत अंतर्गत की
 अंतर्गत अंतर्गत के अंतर्गत अंतर्गत


26/11/2020
 अंतर्गत

अभिलेख दिनांक-18.7.2020 को रखें।


अंतर्गत अधिकारी
राजपटल

अभिलेख उपस्थापित। नैतिक का नमिना प्रतिवेदन प्राप्त है। आवेदन एवं सोनर पत्र।
एवं अशोक कुशा मंडल अपनी कृपा: लगी
एवं आवेदन पत्र के साथ उपस्थित हुए।
सौदेही () सोनर पत्र के साथ
इस बाद से हाज नं. 1720 का संपूर्ण रकम
02 बी का 06 कड़ा नसी करी का अनुदीप
क्रिया गया है, ताकि उक्त जमीन के बर्तमान
दस्तावेज परामर्श रहे। उक्त आपत्ति आवेदन
को खंगलित बाबत उपनिरीक्षक एवं अंतर्गत
निरीक्षक अंतर्गत राजपटल को ज्ञापन प्रतिवेदन
हेतु भेजे।

अभिलेख दिनांक-16.9.20 को रखें।



अंतर्गत अधिकारी
राजपटल

16.9.20
26.11.2020

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजपटल
उपनिरीक्षक एवं पुष्पी अंतर्गत निरीक्षक अंतर्गत
राजपटल के साथ निपती अशोक मंडल के साथ
दिए गए आवेदन में वर्णित विस्तृत का इष्टतम
ज्ञापन प्रतिवेदन संपूर्ण क्रिया गया है। नै अभिलेख
के साथ संलग्न है। जिसे उद्योग प्रतिवेदन किया है
कि उपरोक्त वर्णित भूमि पर सर्वदा आयालय राजपटल
सिबिन जज सीनियर डिविजन - I के मुद्दा नुक्रमा
सं. 63/2019 के अन्तर्गत संबंधित रदन के वावजूद
विपती अशोक मंडल ने जोर जबरदस्ती 12 फीट
रास्ते पर खंडलता का निर्माण कर दिया है। इस

उस बाद में इसका व्यापक रूप के द्वारा अन्तिम
आदेश पारित होने के पश्चात् ही इस
बुद्धि पर नाभी की कारवाई किया जा सकता
है।

अतः उपरोक्त जॉय प्रिक्लेन के
आदेश में कुछ शर्तों के बाद ही कारवाई
की सम्पन्न किया जाय है।


अध्यक्ष अधिकारी
राजपटन।

उपरोक्त के
द्वारा:-
विषय
मन्त्र